पत्रांकः–145 / सा0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः–28 / 02 / 2012

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर ।

बन्दोबस्ती–सूचना (2012–13)

निदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, मुंगेर के निम्नलिखित सैरातों का वर्ष 2012–13 के दिनांक–01 / 04 / 12 से 31 मार्च 2013 (एक वर्ष) तक के लिये खुले डाक द्वारा सैरातों के सामने अंकित (क) तिथि दि0–19 / 03 / 12 को 3.00 बजे अपराह्न में अपर समाहर्त्ता, मुंगेर कार्यालय के कक्ष में खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जायेगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती न होने पर सैरातों के सामने अंकित अनुवर्त्ती तिथि क्रमशः ख एवं ग को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित तिथि एवं समय पर अपरसमाहर्त्ता, मुंगेर कार्यालय के कक्ष में निम्नलिखित शर्त्तों पर वार्षिक डाक बन्दोबस्ती की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर सार्वजनिक डाक में भाग ले सकते हैं।

क्रमांक	परिसम्पत्ति का विवरण	सुरक्षित जमा राशि	प्रतिभूति जमा राशि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय
1	राजा बाजार सब्जी मार्केट (पक्का स्टॉल एवं पैसेज स्टॉल को छोड़कर) एवं कौड़ा मैदान स्थित गढ़ैया परती जमीन तथा बाजार	2,17,984.00	54,496.00	(क) दिनांक–19 / 03 / 12 अपराह्न 3.00 बजे अनुवर्त्ती तिथि (ख) दिनांक–20 / 03 / 12 अपराह्न 3.00 बजे (ग) दिनांक–21 / 03 / 12 अपराह्न 3.00 बजे
2	कर्पूरी मार्केट	11,000.00	2,750.00	
3	अस्पताल रोड शौचालय (जर्जर अवस्था)	21,010.00	5,253.00	
4	विश्वास बोर्ड द्वारा हस्तांतरित शौचालय के अन्तर्गत टैक्सी स्टैण्ड शौचालय का डाक (जर्जर अवस्था)	66,000.00	16,500.00	
5	पूर्वी किला गेट शौचालय (जर्जर अवस्था)	1,01,530.00	25,383.00	
6	जाजलकिता बड़ा जानवर जवहखाना	22,038.00	5,510.00	
7	श्रमचलित वाहन यथा रिक्शा एवं साईकिल	55,000.00	13,750.00	

आवश्यक शर्तेः–

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक बोलने के पूर्व अपना आवासीय पता अनुमण्डल पदाधिकारी / जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निर्गत या वोटर कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा।
2. डाक में भाग लेने के पूर्व डाक वक्ता को प्रतिभूति की राशि नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा जो डाक समाप्ति के बाद असफल डाक वक्ताओं को प्रतिभूति की राशि वापस कर दी जाएगी, तथा सफल डाक वक्ता की सुरक्षित राशि डाक की बोली गई स्वीकृत राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
3. उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती दी जाएगी तथा डाक समाप्ति के तुरंत बाद डाक की सम्पूर्ण राशि नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगी।
4. सक्षम पदाधिकारी जो डाक की स्वीकृति प्रदान करेगें उन्हें यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि अपरिहार्य कारणों से डाक को अस्वीकृत कर दे अथवा प्रश्नगत डाक से हटा लें ।
5. बन्दोबस्ती स्थल / बाजार की सफाई एवं रख–रखाव की जिम्मेवारी डाकधारी की होगी ।
6. सभी तरह के विवादों का निपटारा स्थानीय न्यायालय स्तर से ही मान्य होगा।
7. सुलभ शौचालय का डाक में महादलित वर्ग से आने वाले इच्छुक व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।